तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12-11-24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज आदेश सुनाए जाने हेतु पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन उपरान्त वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर फैसल शुमार होकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

पीठासीन अधिकारी
श्रीमती भावना सिंह(RAS)

दावा संख्या 98 / 2022
दायरा दिनांक 05.08.2022

बउनवान

1. राजन्ती बाई पत्नी रामेश्वर प्रसाद जाति मीणा निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान। —वादी

बनाम

1. बजरंगा आ0 जगनाथ जाति मीणा निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।
2. चिरंजीलाल आ0 रामरतन जाति नाथ निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।
3. नन्दकिशोर आ0 रामरतन जाति नाथ निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।
4. अयोध्या बाई पुत्री रामरतन जाति नाथ निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।
5. कमलेश पुत्र रामरतन जाति नाथ निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।
6. गायत्री बाई पुत्री रामरतन जाति नाथ निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।
7. प्रहलाद आ0 रामनारायण जाति मीणा निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।
8. हनुमान आ0 रामनारायण जाति मीणा निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।
9. गिरीराज आ0 रामनारायण जाति मीणा निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।
10. शंकर आ0 कान्हा जाति मीणा निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।
11. हरकेश आ0 हरपाल जाति मीणा निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।
12. रामकेश आ0 हरपाल जाति मीणा निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।
13. रामकरण आ0 हरपाल जाति मीणा निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।
14. किशनगोपाल आ0 मान्या जाति मीणा निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।
15. प्रभू आ0 मान्या जाति मीणा निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।
16. महावीर आ0 सूरजमल जाति मीणा निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।

उपखण्ड अधिकारी

/5

रामेश्वर आ0 सुवा जाति मीणा निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।

18. केली बाई पुत्री सुवा जाति मीणा निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।

19. तुलसां पुत्री सुवा जाति मीणा निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।

20. बदरा पुत्री सुवा जाति मीणा निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।

21. रामकरणी पुत्री सुवा जाति मीणा निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।

22. मस्तराम पुत्र गंगाबिसन जाति मीणा निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।

23. भगवाहन सहाय पुत्र गंगाबिसन जाति मीणा निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।

24. लेखराज पुत्र गंगाविसन जाति मीणा निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।

25. मोसमी पुत्री गंगाबिसन जाति मीणा निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।

26. बापूडी पुत्री गंगाबिसन जाति मीणा निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।

27. मोटा पत्नी स्व0 गंगाबिसन जाति मीणा निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।

28. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

वाद — अधिकार घोषणा पत्र व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,89,188 आ0टी0एक्ट

अधिवक्ताः— 1. श्री महेन्द्र रेबारी (अधिवक्ता वादी)
2. प्रतिवादीगण 1 लगायत 28(अनुपस्थित)

दिनांकः— 12 .11.2024

निर्णय

वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 548 रकबा 0.37है0, खसरा संख्या 549 रकबा 0.18है0, खसरा संख्या 550 रकबा 0.14है0, खसरा संख्या 567 रकबा 0.46है0, खसरा संख्या 568 रकबा 0.31है0, खसरा संख्या 569 रकबा 0.19है0, खसरा संख्या 570 रकबा 0.06है0, खसरा संख्या 571 रकबा 0.09है0, खसरा संख्या 572 रकबा 0.18है0, खसरा संख्या 573 रकबा 0.18है0, खसरा संख्या 574 रकबा 0.42है0, खसरा संख्या 575 रकबा 0.17है0, खसरा संख्या 576 रकबा 0.23है0, खसरा संख्या 577 रकबा 0.22है0, खसरा संख्या 578 रकबा 0.24है0, खसरा संख्या 579 रकबा 0.42है0, खसरा संख्या 580 रकबा 0.31है0, खसरा संख्या 581 रकबा 0.18है0, खसरा संख्या 587/797 रकबा 0.05है0 कुल किता 19 कुल रकबा 4.40है0 वाके ग्राम श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में विस्थित है। जिसका सहखातेदार लटूर व बजरंगा पि0 जगन्नाथ मीणा हिस्सा 1/7 निहित है इसमें से लटूर का सम्पूर्ण हिस्सा अर्थात 1/14 हिस्सा तथा बजरंगा के हिस्से में आधा हिस्सा अर्थात 1/28 हिस्सा को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

को वादीनी द्वारा खरीद किया गया जिसके आधार पर नामांतकरण दिनांक 20.07.2005 तस्दीक किया गया और जमाबंदी में नाम का अमल किया संख्या 349 दिनांक 05.08.2006 कर दिया गया और वादीनी लटूर के 1/14हिस्से की व बजरंगा के जाकर नोट भी अंकित की गई तथा बजरंगा का शेष हिस्सा 1/28 रहा उसका 1/28 हिस्से की सहखातेदार अंकित किया गया जो सही है तथा दूसरा सहखातेदार पांचूनाथ आ0 सहखातेदार बजरंगा अंकित किया गया जो सही है तथा दूसरा सहखातेदार पांचूनाथ आ0 मंगलनाथ जाति नाथ जिसने अपने हिस्से 1/7 में से 1/2 हिस्सा अर्थात् 1/14 हिस्सा को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.07.2004 को वादिनी क्रेता राजन्ती बाई को विक्रय कर दी गई है जिसका नामान्तकरण संख्या 334 दिनांक 05.07.2005 तस्दीक किया गया और जमाबंदी में वादीनी व पांचूनाथ का आधा आधा हिस्सा अंकित किया जा चुका है अर्थात वादीनी क्रेता का 1/14 हिस्सा तथा पांचूनाथ शेष रही भूमि पर 1/14 हिस्सा अंकित किया गया जो सही है तथा जमाबंदी सम्वत् 2059 से 2062 प्रस्तुत है। वादीनी का कब्जा समस्त खरीद शुदा भूमि पर चला आ रहा है तथा वादीनी सहखातेदार है। किन्तु जमाबंदी सम्वत 2059 से 2062 के बाद जो जमाबंदी सम्वत 2063 से 2066 कम्प्यूटराइज बनाई गई उसमें वापिस क्रेतागण लटूर, बजरंगा व पांचूनाथ का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया जो गलत है हालांकि इस जमाबंदी में भी इंतकाल नं 349 जो कि लटूर, बजरंगा द्वारा विक्रय की गई जमीन का तस्दीक हुआ है उसका अंकन हो रहा है उसके पश्चात् फिर चौसाला जमाबंदी 2067 से 2070 कम्प्यूटराईज बनाई गई उसमें वापिस पांचूनाथ, बजरंगा का नाम अंकित कर दिया केवल लटूर के हिस्से पर ही क्रेता का नाम अंकित हो पाया जबकि पूर्व में ही इन्तकाल संख्या 344, 349 तस्दीक हो चुके है तथा अमल राजस्व रिकॉर्ड में हो चुके उसके अनुसार वादीनी का लटूर द्वारा विक्रय 1/14 व बजरंगा द्वारा विक्रय 1/28 एवं पांचूनाथ द्वारा विक्रय 1/14 अर्थात राजन्ती क्रेता का 5/28 हिस्सा हुआ और इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होना है। उक्त खात सहखातेदारी सही अंकन हेतु बार–बार सहखातेदारों से निवेदन किया कि खाता सही करो व करवाओ किन्तु कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जबकि खाता दुरूस्त नहीं होने से वादीनी को नुकसान हो रहा है यह न तो सरकारी योजनाओं का फायदा ले पा रही है तथा न उचित रूप से अपनी भूमि पर लोन ले पा रही है जब सम्पूर्ण हिस्सा का खाता ही सही अंकन नही तो इसका नुकसान वादीनी को हो रहा है। खात की गलती भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबंदी बनाते वक्त व बिना जांच मिलान कम्प्यूटराईज कर दी गई जो गलत है इसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। वादीनी ने अंतिम बार दिनांक 18.07.2022 को भी प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि खाता दूरूस्त करवाओ किन्तु कोई जवाब नहीं दिया यही वाद का कारण है। वादीनी को अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय में दावा दायर करें एवं अपना खाता दुरूस्त करावावें एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करें कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 गलत प्रविष्टी का फायदा उठाकर किसी अन्य व्यक्ति को रहन,बय नहीं करें एवं किसी प्रकार से भारग्रस्त नहीं करें एवं वादीनी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बदखलन्दाजी नहीं करें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं 1 लगायत 17 के द्वारा जर्ये अधिवक्ता अण्डरटेकिंग दी गई शेष बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी सं 1 लगायत 17 बार–बार अवसर दिए जाने के पश्चात् भी जवाब पेश नहीं करने पर उनका जवाब बंद उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पत्रावली में वादीया के साक्ष्य करवाये गए। वादीया द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश हुआ एवं वादीया के बयान लेखबद्ध करवाये। दस्तावेज प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78 ग्राम श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ़ खाता सं 133, प्रदर्श–2 नकल जमाबंदी सम्वत् 2067–70 ग्राम श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ़, प्रदर्श–3 नकल

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

जमाबंदी सम्वत 2063—66 ग्राम श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ़, प्रदर्श—4 नकल जमाबंदी सम्वत् 2059—62 ग्राम श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ़, प्रदर्श—5 नामांकरण संख्या 349 ग्राम श्योदानपुरा की प्रतिलिपी प्रदर्श करवाये गए।

वादीया अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वादीया अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य का दोहरावे करते हुए कथन किया कि वाद विषयक आराजी ग्राम श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ़ पर वादीनी को 5/18 का सहखातेदार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी सं 1 को 1/28हिस्से, प्रतिवादी सं 2,3,4,5,6 को 1/14हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जावे इसी अनुसार खाता में अमल दरामद करने का आदेश पारित किया जावे तथा 1 लगायत 6 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। वादीया अधिवक्ता की बहस समाहत पत्रावली की गई।

हमारे द्वारा वादीया अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं मनन किया गया। पत्रावली में उपस्थित दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में उपस्थित प्रतिलिपी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.07.2005 का अवलोकन करने पर पाया गया कि वाद विषयक आराजी के सहखातेदार लटूर ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा जो कि 1/14 है एवं बरजंगा ने अपने हिस्से का आधा हिस्सा जो 1/28 है को वादीया राजन्ती बाई पत्नी रामेश्वर प्रसाद जाति मीणा निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ को बैचान कर दी गई थी जिसका नामांतकरण संख्या 349 तस्दीक कर नोट लगाया गया है। इसी प्रकार प्रतिलिपी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.07.2004 से वाद विषयक आराजी के सहखातेदार पांचू नाथ आ0 मंगला नाथ द्वारा अपना 1/14 हिस्सा वादीया राजन्ती बाई पत्नी रामेश्वर प्रसाद जाति मीणा निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ को बैचान कर दी गई थी जिसका जमाबंदी सम्वत् 2059—62 ग्राम श्योदानपुरा में नामांतकरण संख्या 334 दिनांक 05.07.2005 से स्वीकृत कर वादीया का नाम दर्ज करने का नोट अंकित किया गया है। उक्त कृषिभूमि पर नामांतकरण संख्या 456 दिनांक 08.12.2010 से सहखातेदार मृतक पांचू के स्थान पर रामनिवासी पुत्री पांचु नाथ का नाम दर्ज किया गया है तथा विरासत नमांतकरण संख्या 536 दिनांक 21.07.2014 से रामनिवासी के स्थान पर कमलेश, नंदकिशोर, चिंरजीलाल पिसरान रामरतन, अयोध्याबाई, गायत्रीबाई पुत्रियां रामरतन जाति नाथ साकिन दरामाताजी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है जो वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 अंकित है। ई—हस्ताक्षरित जमाबंदी सम्वत् 2075—78 प्रदर्श—1 का अवलोकन पर पाया गया कि वादीया के नाम जमाबंदी में 1/14 हिस्सा ही अंकित है जो उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रतिवादी सं 1 बजरंगा आ0 जगनाथ जाति मीणा द्वारा पूर्व में अपने हिस्से का आधा भाग अर्थात् 1/28हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.07.2005 से वादीया का बैचान किया जा चुका है एवं प्रतिवादी सं 2 लगायत 6 के पूर्वज पांचू नाथ आ0 मंगलनाथ जाति नाथ द्वारा अपने हिस्से का आधा अर्थात् 1/14हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.07.2004 से वादीया राजन्ति बाई पत्नी रामेश्वर प्रसाद जाति मीना को बैचान किया जा चुका है इस प्रकार वादीया का जमाबंदी में कुल हिस्सा 5/28(1/14+1/28+1/14) दर्ज राजस्व रिकॉड किया जाना चाहिए था किन्तु सहवन से 1/14 हिस्सा ही दर्ज किया गया है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 द्वारा पत्रावली में हमारे सम्मुख ऐसा कोई प्रत्युत्तर या दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई हो। पत्रावली में उपस्थित राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से हमारे मत में वादीया का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

अतः वादीया का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। वाद विषयक आराजी खसरा संख्या 548 रकबा 0.37है0, खसरा संख्या 549 रकबा 0.18है0, खसरा संख्या 550 रकबा 0.14है0, खसरा संख्या 567 रकबा 0.46है0, खसरा संख्या 568 रकबा 0.31है0, खसरा संख्या 569 रकबा 0.19है0, खसरा संख्या 570 रकबा 0.06है0, खसरा संख्या 571 रकबा 0.09है0, खसरा संख्या 572 रकबा 0.18है0, खसरा संख्या 573 रकबा 0.18है0, खसरा संख्या 574 रकबा 0.42है0, खसरा संख्या 575 रकबा 0.17है0, खसरा संख्या 576 रकबा 0.23है0, खसरा संख्या 577 रकबा 0.22है0, खसरा संख्या 578 रकबा 0.24है0, खसरा संख्या 579 रकबा 0.42है0, खसरा संख्या 580 रकबा 0.31है0, खसरा संख्या 581 रकबा 0.18है0, खसरा संख्या 587/797 रकबा 0.05है0 कुल किता 19 कुल रकबा 4.40है0 वाके ग्राम श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में वादीया को 5/28भाग का व प्रतिवादी सं 1 को 1/28भाग, प्रतिवादी सं 2 लगायत 6 प्रत्येक को 1/70भाग का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। रहन एवं शेष इन्द्राज यथावत जमाबंदी रहेगा। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञ से पाबंद किया जाता है कि वे वादीया के खातेदारी हिस्से के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शूमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 12 .11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी...मुकाम..........लाखेरी..........................व

इजलास.......श्रीमती भावना सिंह (आर०ए०एस)..

1. राजन्ती बाई पत्नी रामेश्वर प्रसाद जाति मीणा निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।

—वादीया

बनाम

1. बजरंगा आ0 जगनाथ जाति मीणा निवासी श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत 88,89,188 आर०टी०एक्ट

सन् ....

मुकदमा नम्बर 98/दावा/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....हमारे..........व हाजिरी वादीया अधिवक्ता श्री महेन्द्र रेबारी ......मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है कि – वादीया का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। वाद विषयक आराजी खसरा संख्या 548 रकबा 0.37है0, खसरा संख्या 549 रकबा 0.18है0, खसरा संख्या 550 रकबा 0.14है0, खसरा संख्या 567 रकबा 0.46है0, खसरा संख्या 568 रकबा 0.31है0, खसरा संख्या 569 रकबा 0.19है0, खसरा संख्या 570 रकबा 0.06है0, खसरा संख्या 571 रकबा 0.09है0, खसरा संख्या 572 रकबा 0.18है0, खसरा संख्या 573 रकबा 0.18है0, खसरा संख्या 574 रकबा 0.42है0, खसरा संख्या 575 रकबा 0.17है0, खसरा संख्या 576 रकबा 0.23है0, खसरा संख्या 577 रकबा 0.22है0, खसरा संख्या 578 रकबा 0.24है0, खसरा संख्या 579 रकबा 0.42है0, खसरा संख्या 580 रकबा 0.31है0, खसरा संख्या 581 रकबा 0.18है0, खसरा संख्या 587/797 रकबा 0.05है0 कुल किता 19 कुल रकबा 4.40है0 वाके ग्राम श्योदानपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में वादीया को 5/28भाग का व प्रतिवादी सं 1 को 1/28भाग, प्रतिवादी सं 2 लगायत 6 प्रत्येक को 1/70भाग का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। रहन एवं शेष इन्द्राज यथावत जमाबंदी रहेगा। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञ से पाबंद किया जाता है कि वे वादीया के खातेदारी हिस्से के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें।

निज.......................................मुबलिग...बाबत...

.................खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....

..फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 11 सन् 2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

ओहदा लाखेरी(बून्दी)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।